



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012025-260628
CG-DL-E-30012025-260628

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/माघ 10, 1946

No. 520]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2025/MAGHA 10, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2025

का.आ. 524(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में केंद्र सरकार, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए आयकर दाताओं के संबंध में जानकारी साझा करने के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना क्रमांक 12/2025/फा. सं. 225/235/2024-आईटीए.II]

काख्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव